



राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(40)एम.ई./ग्रुप-1/2014

जयपुर, दिनांक: 23/8/2021

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03.08.2021 के प्रावधानों के तहत डॉ. अशोक कुमार वर्मा, वरिष्ठ आचार्य, बायोकेमिस्ट्री एवं अतिरिक्त प्रधानाचार्य-प्रथम, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के अतिरिक्त प्रधानाचार्य-प्रथम पद के कार्यकाल में एक वर्ष की अभिवृद्धि एतद्वारा प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,

23/8/2021

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज., जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जयपुर/अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/कोटा।
5. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित चिकित्सक शिक्षक भार्गव प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

23/8/21

(अशोक कुमार सोनी)

उप शासन सचिव